इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

सूचना

क्र. एफ-3-60-2014-बत्तीस.—एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त, सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत सीहोर निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अत: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक /04/2015 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic.पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा.—

(1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कक्ष क्रमांक—302-बी तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल
(3) कलेक्टर, सीहोर.

1. प्रारूप विकास योजना सीहोर 2031 की पुस्तिका में कंडिका 1.3.6, 2.5, 3.2, 3.3.6, 3.3.7, 3.3 में टंकन त्रुटियां ठीक की जाना प्रस्तावित है.

2. उपांतरण का विवरण:—

(क) कंडिका 3.3, 3.4 में सारणी 3—सा—4, सारणी 5—सा—1 के स्थान पर संशोधित कंडिका व सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(ख) पृष्ठ क्रमांक 227 पर टंकीत पैराग्राफ में से ''ग्राम तकैपुर तथा लसुडिया परिहार (कैंचमेंट से पूर्व तक) में बायपास मार्ग के दोनों ओर मार्ग मध्य से 7.50 मीटर तक निम्न घनत्व आवासीय गतिविधि स्वीकार्य होगी'' विलोपित किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.